



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-29102020-222815
CG-DL-E-29102020-222815

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3430]
No. 3430]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, अक्टूबर 29, 2020/कार्तिक 7, 1942
NEW DELHI, THURSDAY, OCTOBER 29, 2020/KARTIKA 7, 1942

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 अक्टूबर, 2020

का.आ. 3884(अ).—भारत सरकार ने पेट्रोलियम और खनिज पाइपलाइन (भूमि में उपयोग के अधिकार का अर्जन) अधिनियम, 1962 (1962 का 50) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3 की उपधारा (1) के अधीन जारी भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 3209(अ) तारीख 28.08.2019 जो भारत के असाधारण राजपत्र तारीख 05.09.2019 में प्रकाशित की गयी थी, द्वारा उस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में गेल (इण्डिया) लिमिटेड द्वारा झारखंड राज्य में जगदीशपुर-हल्दिया एवं बोकारो-धामरा पाइपलाइन (जे एच बी डी पी एल) एवं स्पर पाइपलाइन के माध्यम से प्राकृतिक गैस के परिवहन के लिए पाइपलाइन बिछाने के प्रयोजन के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को उपलब्ध करा दी गई थी;

और सक्षम प्राधिकारी ने, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) के अधीन भारत सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

और भारत सरकार ने, उक्त रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात और यह संतुष्ट हो जाने पर कि उक्त भूमि पाइपलाइन बिछाने के लिए अपेक्षित है, उस में उपयोग के अधिकार का अर्जन करने का विनिश्चय किया है;

अतः अब, भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना से संलग्न अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि में पाइपलाइन बिछाने के लिए उपयोग के अधिकार का अर्जन किया जाता है;

और भारत सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 6 की उप-धारा (4) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्देश देती है कि पाइपलाइन बिछाने के लिए भूमि में उपयोग का अधिकार, इस घोषणा के प्रकाशन की तारीख से, भारत सरकार में निहित होने के बजाए, सभी विल्लंगमों से मुक्त होकर, गेल (इण्डिया) लिमिटेड में निहित होगा।

अनुसूची

जगदीशपुर – हल्दिया एण्ड धामरा पाइपलाइन प्रोजेक्ट

दोभी से हल्दिया

राज्य – झारखण्ड

जिला	तहसील	गांव	थाना नं.	सर्वे नम्बर	क्षेत्रफल		
					हेक्टेअर-आर-वर्ग मीटर		
चतरा	मयुरहण्ड	मयुरहण्ड	139	5775	00	00	02
				5797	00	00	30
				5808	00	00	35
				5807	00	00	21
				5805	00	00	01
				1483	00	04	59
				5806	00	00	01
				5738	00	00	36
चतरा	मयुरहण्ड	फुलांग	209	160	00	00	66
चतरा	इटखोरी	रोमी	99	819	00	02	06
चतरा	इटखोरी	सेरद	103	232	00	00	20
				233	00	00	42
				240	00	00	14

[फा. सं. एल-14014/96/2019-जीपी-II]

राज किशोर, अवर सचिव

MINISTRY OF PETROLEUM AND NATURAL GAS

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th October, 2020

S.O. 3884(E).—Whereas by the notification of Government of India in the Ministry of Petroleum and Natural Gas S. O. No. 3209 (E) dated 28.08.2019 issued under sub-section (1) of section 3 of the Petroleum and Minerals Pipelines (Acquisition of Right of Users in Land) Act, 1962 (50 of 1962) (hereinafter referred to as the said Act), published in the Extra Ordinary Gazette of India dated 05.09.2019, the Government of India declared its intention to acquire the Right of User in the land specified in the Schedule appended to that notification for the purpose of laying pipeline for transportation of natural gas through Jagdishpur-Haldia & Bokaro-Dhamra Pipeline (JHBDPL) & Spur Pipeline in the State of Jharkhand by GAIL (India) Limited;

And whereas copies of the said Gazette notification were made available to the public;

And, whereas the Competent Authority has, under sub-section (1) of Section 6 of the said Act, submitted his report to Government of India;

And whereas Government of India after considering the said report and on being satisfied that the said land is required for laying the pipelines, has decided to acquire the Right of User therein;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 6 of the said Act, Government of India hereby declares that the Right of User in the land specified in the Schedule appended to this notification is hereby acquired for laying the pipeline;

And, further, in exercise of the powers conferred by sub-section (4) of Section 6 of the said Act, Government of India hereby directs that the Right of User in the land for laying the pipeline shall, instead of vesting in Government of India, vest, on this date of the publication of the declaration, in the GAIL (India) Limited, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Jagdishpur-Haldia-Bokaro-Dhamra Pipeline Project

Dobhi To Haldia

State - Jharkhand

Dist	Block	Villages	Thana No.	Survey No.	Area		
					Hec	Are	Sq mtr
Chatra	Mayurhand	Mayurhand	139	5775	00	00	02
				5797	00	00	30
				5808	00	00	35
				5807	00	00	21
				5805	00	00	01
				1483	00	04	59
				5806	00	00	01
				5738	00	00	36
Chatra	Mayurhand	Phulang	209	160	00	00	66

Chatra	Itkhor	Romi	99	819	00	02	06
Chatra	Itkhor	Serad	103	232	00	00	20
				233	00	00	42
				240	00	00	14

[F. No. L-14014/96/2019-GP-II]

RAJ KISHORE, Under Secy.